

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5059
मंगलवार, 01 अप्रैल, 2025/11 चैत्र, 1947 (शक) को उत्तरार्थ

नई सहकारी नीति

5059. श्री कोटा श्रीनिवास पुजारी:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई राष्ट्रीय सहकारी नीति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ख) नई सहकारी नीति के अंतर्गत कर्नाटक सहकारी समिति संशोधन अधिनियम, 2024 से जुड़े वित्तीय निहितार्थ और प्रत्यायोजित विधायी शक्तियाँ क्या हैं ?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) तथा (ख) : सहकारिता मंत्रालय की "सहकार से समृद्धि" के अधिदेश को पूरा करने के लिए नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति की परिकल्पना की गई है। नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति की रूपरेखा तैयार करने, जोकि सहकारी क्षेत्र की वास्तविक क्षमता प्राप्त करने के लिए संरचना प्रदान करें, के लिए दिनांक 02.09.2022 को श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया जिसमें सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञों, राष्ट्रीय/राज्य/जिला/प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों, सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सचिव (सहकारिता) और सहकारी समितियों के पंजीयक तथा केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अधिकारी शामिल थे। इस समिति ने 17 बैठकें आयोजित की और देश भर में हितधारकों से सुझाव प्राप्त करने के लिए चार क्षेत्रीय कार्यशालाएं की। प्राप्त सुझावों को प्रारूप नीति में यथोचित रूप से समाविष्ट कर लिया गया है। प्रारूप नीति तैयार कर ली गई है जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।